अंतिम चरण में भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता

जल्द मिलेगी नई आर्थिक रफ्तार बोले मंत्री पीयूष गोयल

व्यापार, निवेश, तकनीक रक्षा क्षेत्र में खुलेंगे नए अवसर

गोयल ने भारत और स्पेन के संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का उल्लेख किया, जिसमें भारत और स्पेन की साझेदारी को 'बहुआयामी और जीवंत' बताया गया है. उन्होंने कहा कि दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, नियम-आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था और आर्थिक सहयोग के प्रति समान सोच रखते हैं. हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं और भारतीय उद्योग जगत भी स्पेन में निवेश के नए अवसर तलाश रहा है.

मैड्रिड/नई दिल्ली, 14 जुलाई. भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में पहुंच गया है.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित भारत-स्पेन बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत-ईयू एफटीए की कानूनी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अगले कुछ महीनों में यह समझौता लागू होने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक, शिक्षा, रक्षा और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को नई गति देगा.पीयूष गोयल ने बताया कि इस वर्ष जनवरी में भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए को अंतिम रूप दिया गया था. फिलहाल समझौते की कानूनी समीक्षा (लीगल स्क्रबिंग) अंतिम चरण में है, जो अगले एक-दो सप्ताह में पूरी होने की संभावना है. इसके बाद औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी कर समझौते को लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भारत-यूके एफटीए के लागू होने के बाद भारत-ईयू समझौता भी तेजी से प्रभावी होगा और वर्ष 2026 की पहली तिमाही तक इसके लागू होने की उम्मीद है.वाणिज्य मंत्री ने कहा कि इस समझौते को यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है और भारत में भी इसे लेकर व्यापक सहमति है. उनके अनुसार, यह समझौता दुनिया के दो सबसे बड़े आर्थिक समूहों को और अधिक मजबूती से जोड़ेगा, जिनकी वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है. इससे दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के साथ-साथ निवेश, पर्यटन, अंतरिक्ष, संस्कृति और रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा.

13 जुलाई तक प्रत्यक्ष कर संग्रह रु. 7.73 लाख करोड़

नयी दिल्ली, 14 जुलाई चालू वित्त वर्ष में 01 अप्रैल से 13 जुलाई तक प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 16.11 प्रतिशत बढ़कर 7,73,682 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. आयकर विभाग की वेबसाइट पर मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में 13 जुलाई तक कुल गैर-कॉर्पोरेट कर संग्रह 4,11,854 करोड़ रुपये और कॉर्पोरेट कर संग्रह 3,35,386 करोड़ रुपये रहा. प्रतिभूतियों के लेनदेन पर कर से 26,429 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है जबकि अन्य कर प्राप्ति 12.65 करोड़ रुपये दर्ज की गयी. सरकार ने इस दौरान 1,22,491.87 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है. यह पिछले साल की इसी अवधि से 14.57 फीसदी अधिक है.

वित्तीय क्षेत्र पर साइबर हमलों का बड़ा खतरा

वैश्विक औसत से 1.6 गुना अधिक हमले

डेटा सेंध का पता लगाने में लग रहे 263 दिन

नई दिल्ली, 14 जुलाई. भारत का बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र तेजी से बढ़ते साइबर खतरों की चपेट में है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय कंप्यूटर आपात कालीन प्रतिक्रिया दल सीएसआईआरटी-फिन और साइबर सुरक्षा कंपनी एसआईएसए की संयुक्त डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2025 में देश के बैंकिंग, बीमा, भुगतान और अन्य वित्तीय संस्थानों पर करीब 29 लाख साइबर हमले दर्ज किए गए.

वर्ष 2021 में यह संख्या लगभग 14 लाख थी. यानी चार वर्षों में साइबर हमलों में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसने देश की वित्तीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का वित्तीय क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में 1.6 गुना अधिक साइबर हमलों का सामना कर रहा है. सबसे बड़ी चिंता यह है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्था में डेटा सेंधमारी या साइबर घुसपैठ का पता लगाने और उसे पूरी तरह नियंत्रित करने में औसतन 263 दिन लग रहे हैं. इस लंबे समय के दौरान साइबर अपराधी संवेदनशील वित्तीय डेटा तक पहुंच बना सकते हैं और बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं.

रिपोर्ट में साइबर सुरक्षा की कई कमजोरियों को भी उजागर किया गया है. इनमें सिस्टम का कमजोर डिजाइन, सुरक्षा नियमों का रियल-टाइम में लागू न होना, बैंकिंग एप्लिकेशन और एपीआई की निगरानी में कमी तथा साइबर हमलों के दौरान स्वचालित प्रतिक्रिया तंत्र का अभाव प्रमुख कारण बताए गए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि कई संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था अभी भी पारंपरिक मॉडल पर आधारित है, जबकि साइबर अपराधी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर लगातार नए तरीके से हमले कर रहे हैं.

पीएफ वेतन सीमा बढ़ाने की मांग पर फैसला टला

नई दिल्ली, 14 जुलाई. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मांग पर फिलहाल कोई फैसला नहीं होगा. केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को टालते हुए कहा है कि सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद ही इस पर आगे बढ़ा जाएगा.

सरकार का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में वेतन सीमा बढ़ाने से कंपनियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा.

श्रमिक संगठन लंबे समय से ईपीएफ कवरेज की वेतन सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके. हालांकि सरकार का कहना है कि नए श्रम कानूनों के लागू होने के बाद उद्योगों का अनुपालन खर्च पहले ही काफी बढ़ चुका है. विशेष रूप से आईटी क्षेत्र ने नए नियमों के पालन पर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त खर्च किया है. सरकार के अनुसार, यदि वेतन सीमा बढ़ाई जाती है तो कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों का मासिक ईपीएफ अंशदान बढ़ जाएगा.

विट्ठलपुर होंडा प्लांट पहुंचे डीआरएम वेदप्रकाश

अहमदाबाद 14 जुलाई. रेल मार्ग से दोपहिया वाहनों के परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल; रेलवे अधिकारियों एवं होंडा प्रबंधन के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री वेद प्रकाश ने 14 जुलाई, 2026 को गुजरात के विट्ठलपुर स्थित होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) के प्लांट का दौरा किया।

इस अवसर पर रेलवे अधिकारियों एवं होंडा प्रबंधन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें होंडा के स्कूटर एवं अन्य दोपहिया वाहनों का रेल मार्ग से परिवहन प्रारंभ करने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान बताया गया कि विट्ठलपुर स्थित होंडा प्लांट में प्रतिदिन 7,500 से अधिक स्कूटरों का उत्पादन होता है, जिन्हें वर्तमान में ट्रकों के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है। अब भारतीय रेलवे के माध्यम से इन दोपहिया वाहनों का परिवहन शुरू करने की दिशा में दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ।

चर्चा के दौरान रेल परिवहन के लिए आवश्यक परिचालन व्यवस्था, लोडिंग एवं अनलोडिंग सुविधाओं, लॉजिस्टिक्स, रेक उपलब्धता तथा विभिन्न समन्वयात्मक पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया। रेल आधारित परिवहन शुरू होने से सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी, परिवहन लागत में कमी आएगी, समयबद्ध एवं सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित होगी.

खेती की जमीन बेचने पर हर बार टैक्स नहीं

नई दिल्ली, 14 जुलाई आयकर रिटर्न दाखिल करने के दौरान सबसे ज्यादा भ्रम कृषि भूमि बेचने से होने वाली आय को लेकर रहता है. आम धारणा है कि खेती से जुड़ी हर आय पूरी तरह टैक्स मुक्त होती है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. आयकर कानून के अनुसार, खेती की जमीन बेचने पर टैक्स लगेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन ग्रामीण कृषि भूमि है या शहरी कृषि भूमि. इसलिए जमीन बेचने के बाद आईटीआर में सही जानकारी देना बेहद जरूरी है. आयकर अधिनियम के तहत कृषि भूमि को दो श्रेणियों में बांटा गया है. ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत संपत्ति (कैपिटल एसेट) नहीं माना जाता. ऐसे में इस जमीन की बिक्री से होने वाला लाभ पूरी तरह टैक्स मुक्त होता है.

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से शेयर बाजारों में गिरावट

मुंबई, 14 जुलाई पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ने से मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट रही और बीएसई का सेंसेक्स एक सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुआ.

सेंसेक्स पिछले कारोबारी दिवस के मुकाबले 344 अंक नीचे खुला और पूरे दिन लाल निशान में रहा. अंत में यह 561.46 अंक (0.72 प्रतिशत) लुढ़ककर 77,054.94 अंक पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 158.95 अंक यानी 0.66 प्रतिशत नीचे 24,052.05 अंक पर बंद हुआ. यह दोनों प्रमुख सूचकांकों का 09 जुलाई के बाद का निचला स्तर है.

अमेरिका और ईरान के बीच हमले एक बार फिर शुरू हो गये हैं. अमेरिका जहां सीधे ईरान को निशाना बना रहा है, वहीं ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है. इससे बाजार में निवेश धारणा कमजोर हुई है. घरेलू स्तर पर प्रमुख सूचकांकों के साथ वृहत बाजार में भी गिरावट रही.

निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.56 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 1.01 प्रतिशत टूट गया. बैंकिंग, वित्त, ऑटो, आईटी और रियल्टी सेक्टरों में ज्यादा गिरावट देखी गयी. एफएमसीजी, तेल एवं गैस, मीडिया और रसायन समूहों के सूचकांक भी लाल निशान में रहे. फार्मा, स्वास्थ्य और धातु समूहों के सूचकांक ऊपर बंद हुए.

ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE
Ke Saath Zimmedari Lagey Pyaari
Trusted by over 20 crore Indians in 25 YEARS

रिटायरमेंट की तैयारी अपनी शर्तों पर

आईसीआईसीआई प्रू गोल्ड पेंशन सेविंग्स से मिलेगी उम्रभर आर्थिक सुरक्षा

भोपाल, 14 जुलाई. भारत की आबादी में तेजी से बदलाव आ रहा है. आज देश दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में गिना जाता है, लेकिन आने वाले वर्षों में बुजुर्गों की संख्या भी तेजी से बढ़ने वाली है.

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार, वर्ष 2036 तक देश का हर सातवाँ व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होगा और उनकी संख्या बढ़कर करीब 23 करोड़ तक पहुँच जाएगी. पहले के मुकाबले लोगों में जीवन की प्रत्याशा काफी बढ़ी है. वहीं, रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह परिवार या अगली पीढ़ी पर निर्भर रहने का चलन भी धीरे-धीरे बदल रहा है. ऐसे में, रिटायरमेंट की पहले से योजना बनाना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि समय की जरूरत बन गया है.

इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने आईसी आईसीआई प्रू गोल्ड पेंशन सेविंग्स की पेशकश की है. यह बोनस से जुड़ा पेंशन प्लान है, जिसे सुरक्षा और लचीलेपन दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस प्लान के जरिए ग्राहक रिटायरमेंट के लिए धीरे-धीरे एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं. इसमें निवेश की गई पूँजी सुरक्षित रहती है. किसी बड़ी जरूरत, जीवन की महत्वपूर्ण परिस्थितियों या गंभीर बीमारी के समय आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती है, ताकि जरूरत के समय पैसों की कमी न हो परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी बनी रहे.

इसे एक उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए, 40 वर्षीय प्रतीक हर साल 1.5 लाख रुपए 10 साल तक इस प्लान में निवेश करते हैं. ऐसे में, 60 साल की उम्र तक 8% सालाना रिटर्न के अनुमान पर उनका रिटायरमेंट फंड करीब 44 लाख रुपए हो सकता है. वहीं, 4% सालाना रिटर्न के अनुमान पर यह राशि करीब 25 लाख रुपए होगी.

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर विकास गुप्ता ने कहा, 'हमारा मानना है कि रिटायरमेंट जिंदगी का ऐसा पड़ाव होना चाहिए, जिसे लोग खुशी के साथ जी सकें, न कि पैसों की चिंता के साथ. आईसीआईसीआई प्रू गोल्ड पेंशन सेविंग्स को इसी सोच के साथ तैयार किया गया है. यह प्लान बोनस के जरिए फंड बढ़ाने का मौका देता है और जरूरत पड़ने पर बड़ी जीवन संबंधी परिस्थितियों या गंभीर बीमारी के दौरान पैसे निकालने की सुविधा भी प्रदान करता है.

लगातार 18वें साल देश का भरोसेमंद ब्रांड बना टाटा

नई दिल्ली, 14 जुलाई देश के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की नई रैंकिंग में टाटा समूह ने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखी है. ब्रांड फाइनेंस की 'इंडिया 100-2026' रिपोर्ट के अनुसार, टाटा समूह लगातार 18वें वर्ष भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है. इस दौरान कंपनी की ब्रांड वैल्यू में 6 प्रश की वृद्धि दर्ज की गई है और यह बढ़कर 33.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे भविष्य के क्षेत्रों में किए गए निवेश ने टाटा की ब्रांड पहचान को और मजबूत किया है. रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में भारत के शीर्ष 100 सबसे मूल्यवान ब्रांडों की कुल ब्रांड वैल्यू 7 प्रतिशत बढ़कर 252.8 अरब डॉलर हो गई है. यह वृद्धि ऐसे समय में दर्ज की गई है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों और अनिश्चितताओं से गुजर रही है. इसके बावजूद भारतीय कंपनियों ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखी है. इस बार की रैंकिंग में अदाणी समूह ने भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

कार्यालय कलेक्टर (पदेन उपसचिव) एवं समुचित सरकार
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला-धार (म.प्र.)

क्रमांक/6036/भू-अर्जन/2026 — धार, दिनांक : 11.07.2026

प्रारंभिक अधिसूचना

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु परियोजना के अंतर्गत ग्राम दहीवर तहसील धरमपुरी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि म.प्र. में बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम- डहीवर, तहसील- धरमपुरी, जिला- धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)			
		सिंचित	असिंचित	व्यावसायिक	कुल
1	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण हेतु	6.8917	0.0683	0.3056	7.2656
	योग	**6.8917**	**0.0683**	**0.3056**	**7.2656**

अनुसूची (2)

बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण हेतु परियोजना हेतु ग्राम दहीवर तहसील धरमपुरी की प्रभावित भूमि का विवरण:-

क्र.	भूमिस्वामी	सर्वेक्षण संख्या (खसरा नं.)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का कुल रकबा				अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			
					सिंचित	असिंचित	व्यावसायिक	कुल	सिंचित	असिंचित	व्यावसायिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	घनश्याम पिता द्वारक्या जाति कुलमी पता दहीवर धरमपुरी धार	87	निजी	सिंचित	2.3080	0.000	0.000	2.3080	0.3593	0.000	0.000	0.3593
2	महेंद्र पिता गोपाल जाति कुलमी पता दहीवर धरमपुरी धार	88	निजी	सिंचित	1.5380	0.000	0.000	1.5380	0.3015	0.000	0.000	0.3015
3	महादेव पिता लक्ष्मण जाति कुलमी पता दहीवर धरमपुरी धार	89	निजी	सिंचित	0.7690	0.000	0.000	0.7690	0.3120	0.000	0.000	0.3120
4	घनश्याम पिता द्वारक्या जाति कुलमी पता दहीवर धरमपुरी धार	90	निजी	सिंचित	1.2960	0.000	0.000	1.2960	0.2351	0.000	0.000	0.2351
5	दुर्गा पति दिनेशचन्द्र जाति अग्रवाल पता धामनोद धरमपुरी धार	91/1	निजी	व्यावसायिक	0.0000	0.000	0.3990	0.3990	0.0000	0.000	0.3056	0.3056
6	ओएसपी नहर पता धार म.प्र. निजी संस्था	91/3	निजी	सिंचित	0.2150	0.000	0.000	0.2150	0.1345	0.000	0.000	0.1345
7	पवन पिता मोतीलाल, हरिओम पिता मोतीलाल, किरणबाई पिता मोतीलाल, गीताबाई पिता मोतीलाल, मालतीबाई पिता मोतीलाल, सरस्वती बेवा मोतीलाल, रेखाबाई पिता मोतीलाल जाति कुम्हार पता दहीवर धरमपुरी धार	131	निजी	सिंचित	0.7590	0.000	0.000	0.7590	0.1789	0.000	0.000	0.1789
8	कालू पिता कन्हैया जाति बलाई पता धार मध्यप्रदेश	92	निजी	सिंचित	0.9830	0.000	0.000	0.9830	0.1224	0.000	0.000	0.1224
9	सिताराम पिता भिक्या, शोभाराम पिता भिक्या, शान्ताबाई पिता भिक्या जाति बलाई पता धार मध्यप्रदेश	130	निजी	असिंचित	0.0000	2.1240	0.000	2.1240	1.2396	0.000	0.000	1.2396
10	कृष्णराव पिता श्रीपति जाति ब्राम्हण पता दहीवर धरमपुरी धार	132	निजी	सिंचित	0.5340	0.000	0.000	0.5340	0.0952	0.000	0.000	0.0952
11	सतीश पिता गौरीशंकर, सुमनबाई बेवा गौरीशंकर, दिनेश पिता गौरीशंकर जाति ब्राम्हण पता धार म.प्र.	129	निजी	सिंचित	3.3070	0.000	0.000	3.3070	0.0177	0.000	0.000	0.0177
12	मेवालाल पिता नन्दराम, रेवाराम पिता नन्दराम, रूपसह पिता नन्दराम, मोहन पिता नन्दराम जाति भील पता धार मध्यप्रदेश	67	निजी	सिंचित	1.5430	0.000	0.000	1.5430	0.0770	0.000	0.000	0.0770
13	शंकर राव पिता मांगीलाल जाति मराठा पता धार मध्यप्रदेश	138	निजी	सिंचित	0.9320	0.000	0.000	0.9320	0.9320	0.000	0.000	0.9320
14	रमतुबाई पति नन्दराम जाति भील पता धार मध्यप्रदेश	65	निजी	सिंचित	1.2640	0.000	0.000	1.2640	0.0010	0.000	0.000	0.0010
15	सुधाकरराव पिता शंकरराव जाति मराठा पता धार मध्यप्रदेश	139	निजी	सिंचित	4.0000	0.000	0.000	4.0000	0.5225	0.000	0.000	0.5225
16	गणेश पिता मांगीलाल, राजाराम पिता मांगीलाल, बालीबाई पिता मांगीलाल, बसुबाई पिता मांगीलाल जाति भारूड पता धार मध्यप्रदेश	56	निजी	सिंचित	2.5280	0.000	0.000	2.5280	0.7621	0.000	0.000	0.7621
17	लक्ष्मीबाई पति राधेश्याम	53	निजी	सिंचित	0.8480	0.000	0.000	0.8480	0.5741	0.000	0.000	0.5741
18	विज्ञ कुमार पिता कीर्ति कुमार जाति पाटनी पता दहीवर धरमपुरी धार मध्यप्रदेश	50	निजी	असिंचित	0.0000	1.4670	0.000	1.4670	0.0000	0.0683	0.000	0.0683
19	अनोकचंद पिता शोभाराम जाति भारूड पता धार मध्यप्रदेश	46	निजी	सिंचित	0.5620	0.000	0.000	0.5620	0.1017	0.000	0.000	0.1017
20	गिरिश पिता शोभाराम, गिरिश पिता शोभाराम जाति भारूड पता धार मध्यप्रदेश	47	निजी	सिंचित	0.0700	0.000	0.000	0.0700	0.0700	0.000	0.000	0.0700
21	गिरिश पिता शोभाराम, गिरिश पिता शोभाराम जाति भारूड पता धार मध्यप्रदेश	49	निजी	सिंचित	0.4930	0.000	0.000	0.4930	0.3149	0.000	0.000	0.3149
22	दिनेश पिता सखाराम पता दहीवर धरमपुरी धार मध्यप्रदेश	48	निजी	सिंचित	0.9490	0.000	0.000	0.9490	0.3838	0.000	0.000	0.3838
23	सरोज पति अशोक जाति अग्रवाल पता धरमपुरी धार मध्यप्रदेश	91/2	निजी	सिंचित	0.3980	0.000	0.000	0.3980	0.1564	0.000	0.000	0.1564
	कुल योग				**25.296**	**3.5910**	**0.3990**	**29.286**	**6.8917**	**0.0683**	**0.3056**	**7.2656**

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./- (राजीव रंजन मीना)
कलेक्टर (पदेन उपसचिव) एवं समुचित सरकार
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला-धार (म.प्र.)

म.प्र. माध्यम/126862/2026